न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/224

1. हरिसिंह आयु 44 वर्ष आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी सेलादाता रोड नहर के किनारे पेच की बावडी हाल मुकाम नोकरी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राकड का झौंपडा (बटवाडी) ग्राम पंचायत उमर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. लोकेश आयु 29 वर्ष आत्मज स्व0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी सेलादाता रोड नहर के किनारे पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. आशा आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 श्री नारायण जाति मीणा निवासी सेलादाता रोड, नहर के किनारे पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल मुकाम पत्नी सुरेश कुमार निवासी अजमेर बाईपास हनुमान नगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा ।
4. कोयली देवी उर्फ बादाम आयु 69 वर्ष पत्नी स्व0 नारायण जाति मीणा निवासी सेलादाता रोड नहर के किनारे पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रशान्त आत्मज हरिसिंह जाति मीणा नाबालिग बविलायत माता वर्षा मीणा निवासी सेलादाता रोड नहर के किनारे पेच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15, देवकन्या कॉलेज वाली गली, पटेल नगर देवली तहसील देवली जिला टोंक ।
2. शिवानी आयु 18 वर्ष पुत्री हरिसिंह जाति मीणा निवासी सेलादाता रोड, नहर के किनारे, पेच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15, देवकन्या कॉलेज वाली गली, पटेल नगर, देवली तहसील देवली जिला टोंक ।
3. वर्षा आयु बालिग पत्नी हरिसिंह जाति मीणा निवासी सेलादावा रोड नहर के किनारे, पेच की बावडी हाल वार्ड संख्या 15, देवकन्या कॉलेज वाली गली, पटेल नगर, देवली तहसील देवली जिला टोंक ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ।
5. उप पंजीयक महोदय उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.09.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 16.08.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 3 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नया 25 की भूमि खसरा नम्बर 851 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें नारायण पिता भवाना मीणा का संयुक्त खातेदार हक व हिस्सा 2/3 निहित है । खाता संख्या नया 19 में खसरा नम्बर 554 रकबा 04 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें नारायण पिता भवाना मीणा का संयुक्त हक व हिस्सा 1/2 निहित है । खाता संख्या नया 23 में खसरा नम्बरर 557 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 943/554 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार नारायण पिता भवाना मीणा का संयुक्त हिस्सा 5/7 निहित है । खाता संख्या नया 24 की खसरा नम्बर 842 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 941/806 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 942/844 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा में खातेदार नारायण पिता भवाना मीणा का संयुक्त हक व हिस्सा 15/72 निहित है तथा शेष हिस्सा सहखातेदारान का है । उक्त समस्त भूमियॉ ग्राम सेलादाता तहसील हिण्डोली में स्थित हैं । इसी प्रकार ग्राम पेचकी बावडी तहसील हिण्डोली में खाता संख्या नया 201 में खसरा नम्बर 271/696 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त गैर खातेदारी में दर्ज है । खाता संख्या नया 77 की भूमि खसरा नम्बर 775/167 रकबा 02 बिस्वा भूमि जो नारायण पिता भवाना के खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या नया 184 की भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 284 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 288 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 298 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 465 रकबा 11 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 468/693 रकबा 06 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 32 बीघा भूमि में नारायण पिता भवाना का संयुक्त हक हिस्सा 1/10 निहित है एवं खाता संख्या नया 182 की खसरा नम्बर 280 रकबा 05 बिस्वा में नारायण पिता भवाना का संयुक्त हिस्सा 3/8 निहित है । खाता संख्या नया 183 में खसरा नम्बर 267 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 271 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 293 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 28 बीघा 11 बिस्वा में नारायण पिता भवाना मीणा का संयुक्त हक व हिस्सा 2/3 निहित है । शेष हिस्सा अन्य सहखतेदारान है जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 जाति मीणा होने से उनके उपर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता, लेकिन मीणा जाति में प्रचलित रिति रिवाज एवं प्रथा अनुसार पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है । राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्र कमांकः प.–5(1)राजस्व 6/97/18 दिनांक 08.01.2007 उप शासन सचिव के आदेश के तहत एवं विभागी परिपत्र दिनांक 08.09.1997 के द्वारा पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है । पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ–साथ पुत्र/पुत्री भी सहखातेदार कृषक होते हैं, चाहे राजस्व रिकॉर्ड में इसका अंकनल नहीं भी हो फिर भी पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल से ही सहखातेदार होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करवा सकता

है । वादी संख्या 1 व 2 के दादाजी नारायण वल्द भवाना जाति मीणा का देहान्त वष् 2017–18 में हो चुका है लेकिन अप्रार्थी कम 01 अपने पिता की खाते की भूमि को विरासत से अपने नाम नहीं करवा रहा है क्योंकि अप्रार्थी कम 01 हरिसिंह ने अपनी विवाहित पत्नी प्रार्थी संख्या 03 तथा अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संताने कूरतापूर्वक व्यवहार से छोड दीं । तब से प्रार्थीगण अपना जीवन अलग रहकर व्यवतीत कर रहे हैं । अप्रार्थी कम 01 हरिसिंह अपने पिता के खातेदारी की भूमि को अपने नाम विरासत में दर्ज नहीं करवा चाह रहे बल्कि उक्त भूमि को बिना अनुमति/सहमति के बेचान करने पर आमादा हैं । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 व 4 मेंवर्णित आराजी विरासत से प्राप्त भूमियों में अपने हिस्से की भूमि या उसके किसी भी हिस्से को अन्य व्यक्तियों को बेचान, दान, वसीयत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16.08.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1 लगायत 4 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान मीणा जाति के हैं और मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है फिर परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्टगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्टगण को जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपने अभिभाषक से करने पर दिनांक 22.10.2021 को हुई । दिनांक 22.10.2021 को ही नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर दिनांक 26.10.2021 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त होते ही अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में परीक्षण न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता लेकिन पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है । ऐसी स्थिति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र के होते हुए पुत्रियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का कथन किया था । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रहन, बेचान, दान, वसीयत नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

12. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता लेकिन पुरानी हिन्दू विधि लागू होती है । ऐसी स्थिति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र के होते हुए पुत्रियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट ने यह सिद्ध नहीं किया है कि पुरानी हिन्दू विधि में पैतृक सम्पत्ति की अवधारणा नहीं है, परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हरिसिंह के पुत्र व पत्नी भी पक्षकार हैं । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में हैं । जहॉ तक पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकारों का प्रश्न है इनका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा, अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर नहीं है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन

किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिससे हम सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा